"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 फरवरी 2006 — माघ 27, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-89/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/185.— दिसम्बर 2004 में जिला - राजनांदगांव के नगर पंचायत-छुईखदान के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री शांति लाल सांखला को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-24/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/219.— दिसंम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगर पालिका परिषद्-मनेन्द्रगढ़ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. अर्चना जायसवाल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-24/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/220.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. सुभ्रदा पाण्डेय को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-24/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/221.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिका परिषद्-मनेन्द्रगढ़ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. हुस्नआरा बानो को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-24/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/222.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिका परिषद्-मनेन्द्रगढ़ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती मोहनी अग्रवाल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-24/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/223.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिका परिषद्-मनेन्द्रगढ़ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. माया को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-87/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/224.— दिसम्बर 2004 में जिला - राजनांदगांव के नगरपालिका परिषद्-डोंगरगढ़ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. शशिकला गढ़े को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/235.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिक निगम-चिरमिरी के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती इंदू पनेरिया को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/236.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिक निगम-चिरमिरी के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. डॉ. श्रीमती एफ. एन. लकड़ा को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/237.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिक निगम-चिरमिरी के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. संजीदा ख़ातून को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/238.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिक निगम-चिरमिरी के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. मालती (मालती मैडम) को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/239.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिक निगम-चिरमिरी के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. मजिदूननिशा को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/240.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिक निगम-चिरमिरी के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती शिखा सोनी को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/241.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिक निगम-चिरमिरी के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. कु. विभा झा को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/242.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिक निगम-चिरमिरी के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती मीना सिंह को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/243.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिक निगम-चिरमिरी के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. चन्द्रोज्वाला को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/244.— दिसम्बर 2004 में जिला - कोरिया के नगरपालिक निगम-चिरमिरी के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. कुसुम तिवारी को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.